न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 47/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1. कमल पुत्र द्रर्गा लाल खटीक निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा
2. बाबू पुत्र सूरजा खटीक निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा
3. मूला पुत्र देबी खटीक निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा
4. राजेन्द्र पुत्र दुर्गालाल खटीक निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा
5. लादुलाल पुत्र घीसालाल खटीक निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. देबी लाल पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी हुणा का खेड़ा तह0 केकड़ी जिला अजमेर
2. देबीलाल पुत्र कन्हैयालाल महाजन निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा
3. भूरा पिता नन्दा मीणा निवासी देवपुरी तह0 शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री मोहम्मद शरीफ
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम देवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1056 रकबा 0.44, 1057 रकबा 0.85, 1062 रकबा 1.27, 1063 रकबा 0.18, 1066 रकबा 0.07, 1067 रकबा 0.45 1076 रकबा 0.45 है0 कुल किता 7 रकबा 3.43 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम देवपुरी संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा देवपुरी में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 7 रकबा 3.43 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 700/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Sing
Date: 2021.01.29 11:33:20 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा))

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा